पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020 ई0 (माघ 05, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–04

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	105–110	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	65–78	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	11–34	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त (वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

कार्यालय–ज्ञाप

26 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 397/XXVII(7)/19–7(1)/2013–उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक 7.9% (सात दशमलव नो प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

पशुपालन अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

17 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1383/XV-1/19/2(10) 2011–एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग के क्षेत्र प्रसार अधिकारी (पशुधन)/ज्येष्ठ प्रसार अधिकारी (कुक्कुट) (पूर्व पदनाम ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक) पद को राजपत्रित पद घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

10 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 10/XL-1-2020-18/2004–आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या–K.11027/2/2007-DCC(AYUSH) दिनांक 04 जनवरी, 2008 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम–154(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेदिक एवं औषधि के विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) जारी किये जाने हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1680/XXXX/2018–18/ 2004 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा गठित विशेषज्ञों का पैनल, जिसका कार्यकाल दिनांक 13.12.2019 को समाप्त हो गया है, के स्थान पर नवीन विशेषज्ञों का पैनल आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए निम्नानुसार गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।	अनुज्ञापन अधिकारी	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (प्रो0) दिनेश चन्द्र सिंह एम0डी0 (आयु0) पी0एच0डी0, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष द्रव्यगुण विभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार।	द्रव्यगुण विशेषज्ञ	सदस्य
3.	डॉ0 (प्रो0) सुषमा रावत, एसोसिएट प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पक उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार।	रसशास्त्र विशेषज्ञ	सदस्य
4.	डॉ0 धीरेन्द्र दत्त बधानी, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	औषधि नियंत्रण तंत्र	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

गृह अनुभाग–05

अधिसूचना

13 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 1057/XX(5)/20-02(अर्द्ध0सै0) 2019–राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजनार्थ जिला अल्मोड़ा के परगना बारामण्डल, ग्राम–कटारमल में माऊण्टेन ड्राईविंग स्कूल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हेतु, निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित 0.150 है0 भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता सम्बन्धी उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार को सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है;

अतएव अब राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है इसलिए यह निर्देश देते हैं, कि यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है तथापि राज्यपाल उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करते है :–

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4	5
अल्मोड़ा	बारामण्डल	कटारमल	8353	0.024
			8359	0.035
			8360	0.026
			8361	0.065
			योग	0.150

टिप्पणी– भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर अल्मोड़ा के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1057/XX(5)/20-02 (Paramilitary)/2019**, dated January 13, 2020 for general information.

NOTIFICATION

January 13, 2020

No. 1057/XX(5)/20-02(Paramilitary)/2019--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for public purpose that he is satisfied that the 0.150 hect. land mentioned in schedule below of Village Katarmal, Tehsil Baramandal, District Almora, is required for public purpose to establish the Mountain Driving School Indo Tibet Border Police.

WHEREAS, invoking the urgency provision under section 40, power of exemption from undertaking social impact assessment study is given to the appropriate Government in accordance to section 9 of the said Act ;

NOW, THEREFORE, the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directs that though no award has been made regarding it however, the Governor is hereby pleased to notify the land mentioned in the following schedule under sub-section (1) of section 11 of the said Act invoking the provision of sub section (1) of section 40 for the said public purpose.

SCHEDULE

District	Pargana	Village	Plot no.	Area (Hect.)
1	2	3	4	5
Almora	Baramandal	Katarmal	8353	0.024
			8359	0.035
			8360	0.026
			8361	0.065
			Total	0.150

Note– Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of the Collector, Almora.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,

Secretary.

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

15 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 01/नो0सी0/XXXVI-A-1/2020-924(1)/90 T.C–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, श्री लोकेश चन्द्र गैरोला, अधिवक्ता को दिनांक 15–01–2020 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला उत्तरकाशी की तहसील पुरोला में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री लोकेश चन्द्र गैरोला का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 01/No-C/XXXVI-A-1/2020-924(1)/90 T.C,** dated January 15, 2020 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

January 15, 2020

No. 01/No-C/XXXVI-A-1/2020-924(1)/90 T.C- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Lokesh Chandra Gairola, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15-01-2020 for Tehsil Purola, District Uttarkashi and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr.Lokesh Chandra Gairola be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

Secretary, Law-cum-L.R.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/12–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020 ई0 (माघ 05, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

03 जनवरी, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 6641/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti. Vo. II/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 1102/2019/17(120)/XXVII(8)/2019/CTR-26 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019; 1116/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-09 एवं 1117/2019/17(120)/XXVII(8)/2019/CTR समदिनांकित 30 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 526/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में संशोधन; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवा कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 एवं अधिसूचना संख्या 518/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

23 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1102/2019/17(120)/XXVII(8)/2019/CTR-26–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ig) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:

"स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, "बस की बॉडी बिल्डिंग" में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 1102/2019/17(120)/XXVII(8)/2019/CTR-26,** dated December 23, 2019 for general information:

NOTIFICATION

December 23, 2019

No. 1102/2019/17(120)/XXVII(8)/2019/CTR-26--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand No. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 26, in column (3), in item (ic), the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation- For the purposes of this entry, the term "bus body building" shall include building of body on chassis of any vehicle falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975."

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवां कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019

30 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1116/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-09–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 की उपधारा (1) में यह उपबन्धित है कि इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि आयुक्त इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त, केन्द्रीय कर के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त आदेश से उत्पन्न बिंदुओं के अवधारण के लिए जैसा कि आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश देने का आदेश कर सकेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 109, माल और सेवा कर अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के गठन का उपबंध करती हैं;

और, यथास्थिति उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट अपील या आवेदन फाइल करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 109 के अधीन राज्य में अभी अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उक्त अपील या आवेदन फाइल नहीं किए जा सकता है और उसके कारण उक्त धारा के उपबंधो को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है;

अतः अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाइयों का निवारण करने के लिए निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

1–संक्षिप्त नाम– इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौंवा कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2019 है।

2– कठिनाईयों का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,–

(क) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में "उस आदेश , जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरूद्ध

तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा:–

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात् यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;

(ख) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में "उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा:–

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii)वह तारीख, जिसको धारा 109 में अपील अधिकरण के गठन के पश्चात् यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 1116/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-09,** dated December 30, 2019 for general information:

UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (NINTH REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

December 30, 2019

No. 1116/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-09--WHEREAS, Sub-section (1) of section 112 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act, No. 06 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Service Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 112 of the said Act provides that the Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax , call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order;

AND WHEREAS, section 109 of the said Act provides for the constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal and Benches thereof;

AND WHEREAS, for the purpose of filing the appeal or application as referred to in sub-section (1) or sub-section (3) of section 112 of the said Act, as the case may be, the Appellate Tribunal and its Benches are yet to be constituted in the State under section 109 of the said Act as a result whereof, the said appeal or application could not be filed within the time limit specified in the said sub-sections, and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,-

(a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the

Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;

(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub-section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the

Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1117/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 518/2017/9(120)/XVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची में, क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:–

1	2	3
103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र

(ii) राज्य सरकार के पास उपरोक्त विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होनी समझी जाएगी मानों राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(iii) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किये जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 1117/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR,** dated December 30, 2019 for general information:

NOTIFICATION

December 30, 2019

No. 1117/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 518/2017/9(120)/XXVII (8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) In the Schedule, for sl.no. 103A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
103A	26	Uranium Ore Concentrate

(ii) The State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred above with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(iii) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred above had been in force at all material times.

2. This notification shall deemed to have been come into force from the 1st day of July, 2017.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

18 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1721/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-1631/2019–वाहन संख्या UK06CA-1631 (UTILITYVAN) मॉडल 2010 चेसिस संख्या MA1RU2GHKA3C68679 तथा इंजन संख्या GHA4B23214 कार्यालय में मैसर्स इस्थमुस इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, प्लाट नं0 ए 198 एल्डिको सिडकुल इन्डस्ट्रीयल पार्क लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CA-1631 (UTILITYVAN) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1RU2GHKA3C68679 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

23 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1748/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-3312/2019–वाहन संख्या UK06CB-3312 (TRUCK) मॉडल 1995 चेसिस संख्या 380010LUQ733965 तथा इंजन संख्या 697D22LUQ797454 कार्यालय में श्री ओम प्रकाश बांगा पुत्र श्री प्यारे लाल बांगा, निवासी म0नं0 2 एफ राधिका विहार न्यू कल्याणी व्यू रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–11–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-3312 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010LUQ733965 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

23 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1749/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-0960/2019–वाहन संख्या UK06CB-0960 (TRUCK) मॉडल 1995 चेसिस संख्या 360324GUQ720647 तथा इंजन संख्या 497D23GUQ758753 कार्यालय में श्री कन्हय्या लाल, पुत्र श्री चन्द्रपति यादव, निवासी गोकुल नगर तुर्की गौरी किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-0960 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324GUQ720647 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

24 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1761/टी0आर0/पंजी0नि0/PB10AK-9837/2019–वाहन संख्या PB10AK-9837 (BUS) मॉडल 1999 चेसिस संख्या 412060JQQ121840 तथा इंजन संख्या 99J62123526 कार्यालय में डी0एम0 नोसगे पब्लिक स्कूल पीलीभीत रोड़, चारूबेटा, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या PB10AK-9837 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 412060JQQ121840 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1764/टी0आर0/पंजी0नि0/HR37A-1784/2019–वाहन संख्या HR37A-1784 (BUS) मॉडल 2000 चेसिस संख्या 412060MZZ124864 तथा इंजन संख्या 00L62170022 कार्यालय में जेसिस पब्लिक स्कूल, गंगापुर रोड़, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR37A-1784 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 412060MZZ124864 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1765/टी0आर0/पंजी0नि0/UP04A-0458/2019–वाहन संख्या UP04A-0458 (BUS) मॉडल 1999 चेसिस संख्या 18FF90858476 तथा इंजन संख्या 4D31C90851324 कार्यालय में रेडरोज पब्लिक स्कूल बरा खेड़ा गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP04A-0458 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 18FF90858476 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1766/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06PA-0906/2019–वाहन संख्या UK06PA-0906 (BUS) मॉडल 2000 चेसिस संख्या 386026JQQ714920 तथा इंजन संख्या 497D22HQQ760243 कार्यालय में पी0 एस0 मॉडल स्कूल गंगापुर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06PA-0906 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386026JQQ714920 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1767/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06A-4770/2019–वाहन संख्या UA06A-4770 (TAKER) मॉडल 2002 चेसिस संख्या 373141KXZ004094 तथा इंजन संख्या 697TC48KXZ112673 कार्यालय में श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हाकम चन्द्र, निवासी शिव नगर वार्ड नं0 01, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06A-4770 (TAKER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373141KXZ004094 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

30 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1776/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06TA-0501/2019–वाहन संख्या UK06TA-0501 (MOTOR CAB) मॉडल 2009 चेसिस संख्या MAT4451119VE11017 तथा इंजन संख्या 275IDI05EQZS51796 कार्यालय में ब्राईट फ्यूचर एकेडमी, अजीतपुर रोड़ बरा किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06TA-0501 (MOTOR CAB) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAT4451119VE11017 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

31 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 1789/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38H-8180/2019–वाहन संख्या HR38H-8180 (BUS) मॉडल 2000 चेसिस संख्या 412060BZZ104248 तथा इंजन संख्या 00B62137084 कार्यालय में जेसिस पब्लिक स्कूल गंगापुर रोड़ रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38H-8180 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 412060BZZ104248 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

07 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2022/टी0आर0/पंजी0नि0/UP29-0288/2019–वाहन संख्या UP29-0288 (TRUCK) मॉडल 1994 चेसिस संख्या 4EC41131404 तथा इंजन संख्या 41123900 कार्यालय में श्री सज्जन खान पुत्र श्री इन्दान खान, निवासी म0नं0 163 सीरगोटिया किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–12–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP29-0288 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 4EC41131404 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

07 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2023/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-1214/2019–वाहन संख्या UK06CB-1214 (TRUCK) मॉडल 1995 चेसिस संख्या 380010MUQ204177 तथा इंजन संख्या 697D22LUQ14948 कार्यालय में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राज कुमार बब्बर, निवासी आर्दश कालोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2020 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-1214 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010MUQ204177 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

07 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2024/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-1174/2019–वाहन संख्या UK06CB-1174 (TRUCK) मॉडल 2003 चेसिस संख्या 426021LWZ733253 तथा इंजन संख्या 30K62295599 कार्यालय में श्री सुरेश बब्बर पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी आदर्श कालोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–12–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-1174 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426021LWZ733253 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2125/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-3658/2019–वाहन संख्या UK06CB-3658 (D/VAN) मॉडल 2004 चेसिस संख्या 374435CVZ400773 तथा इंजन संख्या 497SP27CUZ826521 कार्यालय में मैसर्स श्री परमहंस लॉजिस्टिक, म0 नं0 118 गोविन्द विहार कालोनी फूलसंगा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–06–2020 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-3658 (D/VAN) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 374435CVZ400773 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

26 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2129/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-1367/2019–वाहन संख्या UK06CB-1367 (TRUCK) मॉडल 1996 चेसिस संख्या 380010ATQ200143 तथा इंजन संख्या 697D22ATQ100654 कार्यालय में श्रीमती बीना सिंह पत्नी श्री जगदीश सिंह, निवासी शक्तिफार्म बाजार सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–12–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-1367 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010ATQ200143 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

10 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2041/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-0964/2019–वाहन संख्या UK06CB-0964 (TRUCK COLED BODY) मॉडल 2005 चेसिस संख्या TDE554101 तथा इंजन संख्या TDH313211 कार्यालय में मैसर्स पैक एण्ड मूव ट्रान्सपोर्ट अण्डर चार्ज श्री अभिशेख, काशीपुर रोड़ ग्राम भूरा पानी रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–12–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-0964 (TRUCK COLED BODY) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या TDE554101 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

10 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2042/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-0889/2019–वाहन संख्या UK06CB-0889 (TRUCK COLED BODY) मॉडल 2005 चेसिस संख्या SDA050192 तथा इंजन संख्या TDH311212 कार्यालय में मैसर्स पैक एण्ड मूव ट्रान्सपोर्ट अण्डर चार्ज श्री अभिशेख, काशीपुर रोड़ ग्राम भूरा पानी रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट को गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–12–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-0889 (TRUCK COLED BODY) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या SDA050192 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

14 नवम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2384/पंजीयन निरस्त/2019–20–वाहन संख्या UA03-2677 (MAXI CAB) मॉडल 2004 चैचिस AC44G62045 इंजन नं0 45G36638 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री लीलाधर जोशी पुत्र श्री भवानी दत्त, निवासी ग्राम–खरचूरा पोस्ट–भिंगराड़ा, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 03–09–2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है, फार्म 35 एवं बैंक की एन0ओ0सी0 संलग्न है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फ़ोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुंर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14–11–2019 को वाहन संख्या UA03-2677 (MAXI CAB) मॉडल 2004 चैचिस AC44G62045 इंजन नं0 45G36638 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

18 नवम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2399/पंजीयन निरस्त/2019–20–वाहन संख्या UK03A9309 (MOTOR CAR) मॉडल 2016 चैचिस MA3EJKDIS00945105 इंजन नं0 K12MN1787275 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी मकान संख्या 83 ग्राम–गोसनी, पुलिस स्टेशन लोहाघाट, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23–07–2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है, फार्म 35 एवं बैंक की एन0ओ0सी0 संलग्न है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16–11–2019 को वाहन संख्या UK03A9309 (MOTOR CAB) मॉडल 2016 चैचिस MA3EJKDIS00945105 इंजन नं0 K12MN1787275 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

21 नवम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2420/पंजीयन निरस्त/2019–20–वाहन संख्या UA123825 (BUS) मॉडल 2004 चैचिस 416221KWZ210948 इंजन नं0 497TC85KWZ117692 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री कृष्णाकुमार, निवासी वार्ड नम्बर 09 घसियारा मण्डी, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 25–10–2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है, प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21–11–2019 को वाहन संख्या UA123825 (BUS) मॉडल 2004 चैचिस 416221KWZ210948 इंजन नं0 497TC85KWZ117692 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/12–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020 ई0 (माघ 05, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, सतपुली, जनपद–पौड़ी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

03 अगस्त, 2019 ई0

संख्या–83/उपविधि–प्रकाशन/2019–20–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 के खण्ड (झ) उपखण्ड (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या–29) की धारा–3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15(ङ), 15(च), 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग हेतु नगर पंचायत, सतपुली, जनपद–पौड़ी गढ़वाल द्वारा बनाए गए निम्नलिखित "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप–नियम, 2019" के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में लागू करने हेतु नगर पंचायत, सतपुली, जनपद–पौड़ी गढ़वाल की बोर्ड बैठक दिनांक 31.07.2019 के विशेष संकल्प संख्या–03 के माध्यम से रखा गया। उक्त उप–नियम आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुए। यह उप–नियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जन साधारण एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किये जा रहे हैं।

अतः उक्त उप–नियम के समाचार–पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर जन साधारण एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो से लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ आमन्त्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली, जनपद–पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेंगी। बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप–नियम,2019

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये **उप–नियम नगर पंचायत, सतपुली ठोस "अपशिष्ट प्रबन्धन उप–नियम, 2019" कहलाएंगे।**

(2) ये उप–नियम नगर पंचायत, सतपुली में सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2018, गजट नोटिफिकेशन दिनांक–02 जुन 2018 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पंचायत, सतपुली ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप–नियम नगर पंचायत, सतपुली की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू होंगी–

(क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उद्यानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास, कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडों की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन"** का अर्थ है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम–2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुँचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैण्डकार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)"** का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखेरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है।

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव–जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है।

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **"संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार"** का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट"** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगा:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोंपेगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौंपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः–

हराः– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

कालाः– घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपा जाय। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग में आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौंपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीकि के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय–समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय–समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुँचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोडकर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हों, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुँचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निकाय श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुँचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

(i) नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर–घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस0डब्लू0एम0 नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बन्धित क्षेत्र में खास–खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अपशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएंगे।

(iv) सब्जी, फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड (iv) और (v) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग–अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जी0आई0एस0 मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगेः–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिन्हित अलग–अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः–

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग–अलग रंगों के होंगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

(viii) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेंदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर।

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर–घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रों को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहॉ निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाँति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कॉम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस–पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।

(iv) जहा कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सके।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नहीं पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर–घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों , तिपहिया वाहनों, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा–करकट इधर–उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(i) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे–बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए।

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईंधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईंधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–

(i) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाय।

(iv) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अपशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट हैं।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यंतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छः महीने के बजाये साढे पाँच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :–

(क) एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार–बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

(प) कूडा फेंकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनो और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर पंचायत किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दण्ड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकती है :–

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काँच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारिक क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्रैण्ड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैण्ड मालिकों को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैण्ड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैण्ड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत के दायित्व :

(i) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगी, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकती है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हो।

(ii) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख–रखाव करेगी।

(iii) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर पंचायत या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती युक्तिसंगत बनायी जाएगी तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगी, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पंचायत अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगी तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगी, जिसमे इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दण्ड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करें। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकती है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख–रखाव किए जा रहें सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(x) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच : अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगी।

(xvii) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँचः अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगी।

(xviii) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगी, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी ₹10.00, पक्का मकान ₹20.00
2.	कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	₹40.00
3.	मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	₹50.00
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	₹60.00
5.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 3.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फड पर ₹100.00 प्रतिमाह
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम ₹200.00 10 कि0ग्रा0 तक,उससे अधिक पर ₹01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे ₹500.00, मध्यम ₹800.00 तथा बडे ₹2000.00
8.	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक ₹300.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु 800.00
9.	धर्मशाला	10 कमरों तक ₹150.00 प्रतिमाह, 11 से 25 तक ₹250.00 प्रतिमाह, 26 से अधिक ₹350.00 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह/उत्सव आयोजन पर ₹500.00 प्रतिदिन
10.	बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नान–चेरिटेबिल)	₹500.00 प्रतिमाह एवं विवाह/उत्सव आयोजन पर ₹1000.00 प्रति उत्सव/विवाह
11.	बेकरी	₹500.00 प्रतिमाह
12.	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक ₹200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक ₹400.00, 101 से 300 कर्मचारियों तक ₹500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से ₹1000.00

1	2	3
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए ₹2000.00,उससे अधिक ₹10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	500 विधार्थियो तक ₹1000.00,उससे अधिक ₹15000.00
15.	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	20 बेड तक ₹500, 21 बेड से 40 बेड तक ₹1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक ₹2000.00,उससे अधिक ₹25000.00
16.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक ₹100.00, पैथोलोजी ₹500.00
17.	दूकान/चाय की दंकान	₹70.00 प्रतिमाह
18.	फैक्ट्री	छोटी ₹600.00, मध्यम ₹1000.00, बडी ₹1000.00
19.	वर्कशॉप	छोटी ₹400.00,बडी ₹1000.00
20.	कबाडी	छोटी ₹200.00,बडी ₹500.00
21.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	₹10.00 प्रतिदिन
22.	सार्वजनिक/निजी स्थलो पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹11000.00 प्रति आयोजन
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50घन मी0 तक ₹200.00, 1.0घन मी0 तक ₹400.00, 3.0घन मी0 तक ₹1000.00, 6.0घन मी0 तक ₹2000.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 ₹200.00 अधिक
24.	सिनेमा हॉल	₹600.00 प्रतिमाह
25.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्थान की स्थिति के अनुसार)	₹200.00 से ₹2000.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

जुर्माना/दंड

उपरोक्त उप–नियमों का उल्घंन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299 (1) एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। दण्ड की धनराशि निम्नलिखित अनुसूचि–2 के अनुसार होगी। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली, जनपद–पौड़ी गढ़वाल में अन्तिम रूप से निहित होगा।

अनुसूची–2

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जन्रेटर	₹200.00 ₹500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल,	₹10,000.00

1	2	3	4	5
			पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	₹5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	₹500.00
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	₹500.00
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1. कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता	₹200.00 से ₹500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। ₹500.00
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	₹200.00
			गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर	₹500.00
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	₹1000.00
			गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर	₹5000.00
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	₹5000.00

1	2	3	4	5
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोइ हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	₹10,000.00
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	₹200.00
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	₹500.00
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए	₹10,000.00
			बजार एसोसिएशन,संघ	₹20,000.00
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	₹10,000.00
			संस्थान	₹20,000.00
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	₹50,000.00
			रेस्टोरेंट	₹20,000.00
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	₹1,00,000.00

1	2	3	4	5
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	₹50,000.00
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	₹50,000.00
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	₹1000.00
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	₹1000.00
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियाँ, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	₹5000.00

सुशील बहुगुणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सतपुली,
पौड़ी गढ़वाल।

अंजना वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सतपुली,
पौड़ी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/12–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।